न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 06 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 बाबुलाल पुत्र अचलाजी		1 श्रीमति बबी पत्नि सांवलाराम कौम घांची निवासी भीनमाल
2 थानाराम पुत्र अचलाजी		2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल
3 डायाराम पुत्र अचलाजी		
4 मरगा पत्नि अचला		
5 प्रतापा वल्द लक्ष्मणाजी जातिगण घांची निवासीगण भीनमाल		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री रमेश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 11-12-17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2014 श्रीमति बबी बनाम बाबुलाल में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा भीनमाल –बी के खसरा नम्बर 2503, 2504, 2505 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2496 की पश्चिमी छोर से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 208x6 मीटर की भूमि रास्ते के रूप में घोषित की। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, उसके तथ्यों को मातहत अदालत द्वारा नजर अन्दाज किया तथा जो मौके की रिपोर्ट रेकर्ड पर आई है, वह अपूर्ण होने के कारण दुबारा मौका निरीक्षण हेतु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता पहाड़ के पास से स्थित है, इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरान्त भी प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को same day ही बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जो पहाड़ी के सहारे सहारे जाता है। इस कारण प्रकरण में दुबारा मौका जांच कर निर्णय पारित किया जाना ही न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा भीनमाल–बी के खसरा नम्बर 2503, 2504, 2505 की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2496 में से रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीया की भूमि के निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 2496 से होकर नही है, बल्कि पहाड़ी के पास से होकर खसरा नम्बर 2500, 2507, 2508 में से होकर प्रार्थीया के खेत तक जाता है। नक्शा अनुसार भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2504 से सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 2507 व 2508/6835 के उपरी कोने से लगते हुए खसरा नम्बर 2506/9 व 2509 व खसरा नम्बर 2504 के बीच की भूमि से है, जो सबसे निकटतम है। इस प्रकार अप्रार्थी/अपीलाण्ट्स की भूमि से निकटतम मार्ग से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात तहसीलदार भीनमाल द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति जाहिर करते हुए पुनः मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया तथा उसके पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भीनमाल द्वारा जो मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को स्केच रंग से दर्शाया गया है, जो खसरा नम्बर 2496 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 2506 तक जाता है। उक्त भूमि को रास्ते के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक मार्ग नक्शे में दर्शित है, जो खसरा नम्बर 2508/6835 की उत्तरी–पूर्वी माठ के सहारे–सहारे आगे जाता है। उक्त मार्ग से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीनमाल

रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2504 के मध्य खसरा नम्बर 2507 की भूमि आती है तथा सम्भवतः प्रथम दृष्टया वह रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के निकटतम भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त तथाकथित मार्ग जो पहाड़ी के पास से गजरना बताया है, उस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की आड में किसी खातेदार की अभिधृति को विखण्डित किया जाना न्यायोचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि " (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (2)अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं की सम्पूर्ण जांच का अभाव पाया गया है, जिसके कारण जैर अपील आदेश को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2014 श्रीमति बबी बनाम बाबुलाल में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु निकटतम मार्ग, आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली